न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 175/2015/अपील

गोपाल पुत्र श्योबक्स जाति ब्राहमण निवासी सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.08.2015 मु.नं. 49/2015 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम गोपाल न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री बनवारीलाल बरवड़

निर्णय **दिनांकः—28.08.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पूवजों के जमाने की कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिस पर अपीलांट लगातार बाजरे, गुंवार, मोठा, मूंग, व मूंगफली की फसल काश्त करता चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार के यहां दिनांक 31.07.15 को धारा 91 की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर दिनांक 13.08.15 को नोटिस की कार्यवाही की गई। तथा दिनांक 13.08.15 की पत्रावली पर यह लिखा गया कि गैर सायल की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा पत्रावली दिनांक 31.08.15 को पेश हो। दिनांक 31.08.15 को गैर सायल अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया, परन्तु साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने के लिए समय चाहा गया। विद्वान अधिनिस्थ न्यायायल द्वारा उसी दिन बिना अपीलांट को सुने ही एक पक्षीय आदेश करके बेदखली व शास्ती लगान 50 गुणा 522 रूपये से अतिकमी को आरोपित कर दिया गया तथा फसल जब्ती आदेश पारित कर दिया गया। उक्त निर्णय पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर के स्थान पर दिनांक 15.09.2015 अंकित है तथा निर्णय दिनांक 31.08.2015 नियत है। उपरोक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत करने पर बहस हेतु तारीख निर्धारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट नही ली गई। वर्तमान समय में अपीलांट द्वारा मुगफली की फसल बो रखी है। अधिनस्थ न्यायायल द्वारा दिनांक 31.08.15 को ही बिना कोई अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये ही तथा बिना किसी बहस के ही मनमर्जी से बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 17.09.15 को अपीलांट की खडी फसल मंगफली के स्थान पर बाजरा लिखकर के बिना अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई व नोटिस के ही मुंगफली फसल के स्थान पर बाजरे की फसल निलाम की गई है, जिससे यह सिद्ध एवं प्रमाणित है कि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा मौके पर निलामी नहीं की जाकर रिकार्ड में अंकित फसल के अनुसार निलामी की हुई होने के कारण उपरोक्त आदेश विधि एवं नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि नहीं होकर के टीले की भूमि थी जो काबिले काश्त नही थी। वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलांट के विरूद्व पारित बेदखली आदेश दिनांक 31.08.2015 तथा नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 15.09.2015 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु व सुनवाई हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में निर्णय दिनांक 31.08.2015 अंकित है तथा हस्ताक्षर के स्थान पर दिनांक 15.09.2015 अंकित कर रखी है। अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट स्वयं उपस्थित आया एवं जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम शिमारला जागीर के खसरा नम्बर 371 रकबा 0.47 है0 में से 0.47 है0 किस्म गै.मु.रास्ता पर बाजरा बोकर अतिक्रमण कर रखा है। बाजरा बोकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 31.08.2015 को पारित किया है। बेदखली आदेश दिनांक 31.08.2015 को पारित किये जाने के लगभग 4 वर्ष पश्चात् अपीलांट को राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में गै.मु. रास्ता प्रतिबंधित भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। गै.मु.रास्ते की भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः राजकीय भूमि (गै.मु.रास्ता) पर बाजरा बोकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 31.08.2015 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
अति0 जिला कलक्टर, सीकर